



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53546

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8976 वर्ष 2026

सादिक

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक (गण) के लिए अधिवक्ता

: हया रिजवी

प्रतिपक्षी (गण) के लिए अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री हया रिजवी और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, मामला अपराध संख्या 427 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन-बरौत, जिला-बागपत में परीक्षण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। बाद में, आवेदक और सह-अभियुक्त के संयुक्त कब्जे से, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित मोटरसाइकिल घटना के छह महीने बाद बरामद दिखाई गई, लेकिन धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक ने संलग्न शपथपत्र में सात मामलों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है। यह भी बताया गया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 03.02.2026 से जेल में दिन काट रहा है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का प्रतिवाद नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और परीक्षण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबितता होने के साथ-साथ **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. ऊपर वर्णित अपराध में संलिप्त आवेदक- **सादिक** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए परीक्षण/अन्वेषण में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही इस वचनबंध के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि परीक्षण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति, अंतर्गत संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, निर्णीत दिनांक 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

17 मार्च, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।